न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 91 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
शेम्भूराम पुत्र गुमानाराम जाति मेघवाल उम्र 60 वर्ष निवासी जुम्मा फकीर की बस्ती (चाडवा तखताबाद) तहसील रामसर जिला बाड़मेर		1. भीखाराम पुत्र फमूराम जाति मेघवाल उम्र 70 वर्ष निवासी जुम्मा फकीर की बस्ती (चाडवा तखताबाद) तहसील रामसर जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34 / 2021 बअनवान भीखाराम बनाम शेम्भूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री अमितकुमार धनदे अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ईश्वरसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 28.12.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा जुम्मा फकीर की बस्ती के खेत खसरा संख्या 54 / 12 रकबा 69.08 बीघा आई हुई, इसमें आने जाने हेतु राजकीय कटान मार्ग नहीं है मेरे खेत के पाडौस खेत खसरा नम्बर 90 / 27 मौजा जुम्मा फकीर की बस्ती में से ही आ जा सकते है तथा इसका उपयोग कई वर्षों से कदीमी रास्ते के रूप में करते आ रहे है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से उपरोक्त रास्ता स्वीकृत किया गया जिसमें विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांटगण की आराजी को दो भागों में विभक्त किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया, इसके बावजूद भी यदि न्यायालय रेस्पोडेंटस को रास्ता देता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता देता है तो कोई आपति नहीं है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है लेकिन अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिया जाना लाजमी है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस की खातेदारी भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया जिससे अपीलांटस के उपभोग एवं उपयोग में बाधा कारित हो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रही है। अपीलांटस अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि यदि न्यायालय अपीलांटस की खातेदारी भूमि में से रास्ता देता है तो खसरे की माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जावे। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 34/2021 बअनवान भीखाराम बनाम शेम्भूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.04.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यथासंभव अपीलांटस की खातेदारी भूमि के टुकड़े नहीं किये जावे तथा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2023 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर